

प्रेस नोट

पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात के निर्देशन में दिनांक:- 06.08.2026 को जनपद में अपराधियों के विरुद्ध व अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरण:

- थाना रनियां पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-143/2026 धारा 352/351(3)/326g बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त रोहित सिंह पुत्र ब्रजनाथ सिंह उम्र करीब 34 वर्ष निवासी चिराना थाना रनियां कानपुर देहात (वाँछित) को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना सिकन्दरा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 276/22 धारा 60 आबकारी अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त शिव शंकर पुत्र अमर सिंह केवट निवासी जवाहर नगर थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात (वारन्टी) को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना शिवली पुलिस द्वारा फौजदारी वाद संख्या 639/2024 से सम्बन्धित अभियुक्त बालगोविन्द पुत्र रामसेवक उम्र करीब 36 वर्ष निवासी ग्राम ककरमऊ थाना शिवली जनपद कानपुर देहात (वारन्टी) को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना राजपुर पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1.जितेन्द्र कुमार पुत्र दया सागर, उम्र 42 वर्ष, 2. रोहित कुमार पुत्र गंगा चरण, उम्र 20 वर्ष, निवासीगण मुबारकपुर (रजधानी), थाना सिकन्दरा, जनपद कानपुर देहात 3. मनीष पुत्र सुरेश, उम्र 19 वर्ष, निवासी निपनिया, थाना सिरसा, जनपद जालौन 4. विमल सिंह पुत्र गुलाब सिंह, उम्र 41 वर्ष, निवासी हाजीपुर, थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात 5. राजकुमार सिंह पुत्र चरन सिंह, उम्र 32 वर्ष, निवासी सैरनी, थाना सिरसा, जनपद जालौन 6. अर्जुन सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह, उम्र 32 वर्ष, निवासी मुसमरिया, थाना चुर्खी, जनपद जालौन 7. जयवीर सिंह पुत्र रामनोहर, उम्र 31 वर्ष, निवासी पिथऊपुर, थाना सिरसा कला, जनपद जालौन 8. आलोक सिंह पुत्र स्व० बालकृष्ण, उम्र 43 वर्ष, निवासी गोपालपुर, थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात के द्वारा ताश के पत्तों से हार-जीत की बाजी लगाकर सार्वजनिक स्थान पर पैसों से जुआं खेलना के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0-89/2026 धारा 13 जुआं अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

जनपद में शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 15 व्यक्तियों के विरुद्ध थानावार क्रमशः जिसमें थाना शिवली पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा 03 व्यक्तियों, थाना डेरापुर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना सिकन्दरा पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना सट्टी पुलिस द्वारा 03 व्यक्तियों व थाना गजनेर पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों का धारा 170/126/135 बीएनएसएस के अन्तर्गत चालान किया।